न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—51/2014 (2014/00030) वाद पत्र

अनवान

1. भागु पिता लच्छु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय
1/1. रामलाल पिता भागु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2. बालुराम पिता भागु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3. राजी पुत्री भागु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4. अणछी पुत्री भागु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5. हगामी बेवा भागु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नारायणसिंह पिता केसरसिंह राजूपत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति

1. हरीश टेलर — वादी अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद— प्रतिवादी अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः—20.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि राज़स्व ग्राम बोराणा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा के बैरून हल्का आबादी में वादी की खातेदारी अधिकार एवं कब्जे की आराजी संख्या 2354 रकबा 0.15 हैक्ट. आराजी संख्या 2355 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 2356 रकबा 0.30 है0, आराजी संख्या 2357 रकबा 0.50 है0, आराजी संख्या 2358 रकबा 0.37 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.39 है0 भूमि स्थित होकर उक्त भूमियां वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की है। वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजियात मे से आराजी संख्या 2358 रकबा 0.37 है0 की पूर्वी तरफ प्रतिवादी नारायणसिंह की खातेदारी आराजी संख्या 1088 ग्राम धूलखेड़ा की सीमा में स्थित है तथा वादी की आराजी संख्या संख्या 2358 व प्रतिवादी की आराजी संख्या 1088 के मध्य वर्षो पुरानी थोहरो की बाड़ लगी हुई है तथा वादी आराजी संख्या 2358 के चारो तरफ थोहर की बाड़ थी। वादी की उम्र 75 वर्ष की होकर मे वृद्ध व्यक्ति हूँ और मेरे पुत्र उक्त वर्णित आराजी की सार संभाल करते हे ओर वे सन् 2011 मे अहमदाबाद धंधा करने के लिए गये हुए थे जिसका नाजायज लाभ उठा कर प्रतिवादी नारायणसिंह ने दिनाक 10—9—2011 को मुझ वादी की आराजी संख्या 2358 रकबा 0.37 हेक्टेयर पर नाजायज एवं बलात आधिपत्य जमाने की गरज से इस आराजी की पूर्वी दिशा की थोहरो की बाड़ को जो वर्षों पुरानी लगी हुई थी जेसीबी मशीन लगा कर हमारी गैर मौजूदगी मे हटा दिया अर्थात वादी एवं प्रतिवादी की आराजी के मध्य थोरो की बाड को हटा कर वादी की आराजी संख्या 2358 रकबा 0.37 हेक्टेयर को प्रतिवादी की आराजी संख्या 1088 मे मिला दिया व दोनो का एक ही चक बनाने की गरज से आराजी सं. 2358 की पश्चिमी दिशा की पाली पर पत्थरो की दिवार चुनना प्रारम्भ कर दिया। इस प्रकार प्रतिवादी ने वादी की आराजी संख्या 2358 रकबा 0.37 हेक्टेयर पर बलात आधिपत्य जमा लिया। तथा मुझ

वादी को इसकी जानकारी हुई और उसी दिन मेरे पुत्रों को बाहर से बुलाया और प्रतिवादी को कहा कि इस तरह जबरन ताकत के बल पर हमारी जमीन पर कब्जा क्यो कर रहे हो तो प्रतिवादी ने कहा कि यह भुमि मेरी सीमा मे आ रही है और इसको मे लेकर रहूंगा और इस तरह नाजायज कब्जा कर लिया। मुझ वादी ने पटवारी हल्का से नकले प्राप्त कर दिनांक 15.9.2011 को हमारी खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढी करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान लेण्ड रेकार्ड आफिसर साहब रायपुर के यहाँ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया, जिसके प्रकरण सं. 42/2011 होकर अनवान भागु बनाम नारायणसिंह वगैरा है दिनांक 03.05.2012 को वादी की प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी का ओदश प्रदान किया गया प्रमाण में पत्थरगढ़ी आदेश की प्रमाणित प्रति साथ पेश की है। उक्त पत्थरगढ़ी के आदेश की जानकारी प्रतिवादी को होने से वादी की आराजी संख्या 2358 में जेसीबी मशीन से खाई भी खुदवा डाली, जिसकी रिपोर्ट थाना रायपुर में जिस प्रतिवादी को पांबद कराया गया। तहसीलदार रायपुर द्वारा पत्थरगढ़ी आदेश की पालना की गई और वादी उक्त वर्णित आराजी संख्या 2358 रकबा 0.37 है0 की अन्य आराजी की अन्य आराजियात के साथ गिरदावर व पटवारी हल्का ने पत्थरगढ़ी करवायी जिसमें भी प्रतिवादी का नाजायज कब्जा होना पाया गया, जिसका मौका पर्चा कायम किया गया जिसकी प्रमाणित प्रति साथ प्रस्तुत है। प्रतिवादी उक्त आराजी पर लाठी लेकर बैठा रहता है जिससे वादी कब्जा लेने हेतु मुकाबला नही कर सकता इसलिय वादी की उक्त आराजी संख्या 2358 से प्रतिवादी को बेदखल करने व कब्जा वादी को सिपूर्द करने हेतु कब्जेयापी की डिक्री प्रतिवादी के विरूद्व जारी फरमाया जाना नितान्त आवश्यक हो गया है। अतः वादी की सादर प्रार्थना है कि ग्राम बोराणा में स्थित वादी की खातेदारी आराजी संख्या 2358 रकबा 0.37 है0 से प्रतिवादी को बेदखल कर उसका कब्जा वादी को सिपूर्द कराये जाने की कब्जेयापी की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे। साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादी की उक्त वर्णित आराजी संख्या 2358 में किसी प्रकार का अनाधिकृत रूप से निर्माण नही करे व न ही अन्य से करावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया सम्मन की पालना में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी की ओर प्रस्तुत जवाब में अंकन किया कि वादपत्र की कलम नम्बर 1 में जहां तक वादी के खातेदारी आराजियात अंकन है। वादी स्वयं अपनी साक्ष्य से सिद्ध करे। वादपत्र की कलम नम्बर 2 मै जहां तक वादी ने अपनी आराजी संख्या 2358 रकबा 0.37 है के पुर्वी तरफ प्रतिवादी की आराजी संख्या 1088 स्थित होना अंकित किया है। स्वीकार है। शेष कथन गलत होने से अस्वीकार है। वादी की आराजी संख्या 2358 व मुझ प्रतिवादी की आराजी संख्या 1088 के मध्य वर्षो पुरानी थुहरो की बाड़ लगी हुई है तथा मेडबन्दी है। वादी की आराजियात के कोई बाड नहीं है मुझ प्रतिवादी की आराजी संख्या 1088 की पश्चिमी मेड पर जागीरदारी के समय से ही मेडबन्दी है। तथा मेरी आराजियात धुलखेडा की सरहद पर स्थित है। जब कि वादी की आराजी बोराणा की सरहद पर स्थित है। मुझ प्रतिवादी ने दिनांक 10/09/2011 को वादी की आराजी संख्या 2358 रकबा 0.37 है. पर नाजायज बलात अधिपत्य नही किया है। न ही जे.सी.बी से थुहरो की बाड को

हटाई है। मौके पर बाड़ व मेडबन्दी मौजुद है वादी ने गलत तथ्य अंकित किये है। प्रतिवादी ने अपनी आराजी संख्या 1088 क पश्चिमी सीमा पर जहां पर मेरा 100 वर्षों से भी अधिक कब्जा है। पत्थर डलवाये है। तथा खेतो मे खड़ी फसल की सुरक्षा के लिए चार दिवारी बनाई है। वादी की आराजियात पर मेने नाजायज कब्जा नही किया है। वादी की आयजियात व मुझ प्रतिवादी की आराजियात अलग अलग सरहद पर स्थित है तथा दोनो का नवीन नक्शा सरहद अनुसार ही बनाया हुआ है साबिक नक्शे में भी दोनो की आराजियात सरहद का अलग अलग नक्शा है। मुझ प्रतिवादी की आराजी संख्या का 1088 का नवीन नक्शा जागीरदारी प्रथा के समय जारी किये गये साबिक नक्शे के अनुरूप ही है। मौके पर नक्शे अनुरूप ही मे वादी काबिज है। वादी की भूमि पर किसी प्रकार का नाजायज कब्जा नहीं किया है। वादी ने दिनांक 10/09/2011 को आराजी संख्या 2358 पर प्रतिवादी के कब्जा करने की बात गलत अंकित की है। वादी ने दिनांक 15/09/2011 को उसकी खातेदारी की आराजियात की पत्थरगढी करवाने हेतु न्यायालय श्रीमान सहायक लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर साहब के यहां प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करवाया जिसके प्रकरण संख्या 42/2011 बअनवान भागु बनाम नारायणसिंह प्रस्तुत करना अंकित किया वादी स्वंय साबित करे वादी ने उक्त प्रकरण संख्या 42/2011 से पूर्व भी आराजी संख्या 2358 व अन्य आराजी की पत्थरगढी हेतु न्यायालय श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया था। लैण्ड ऑफिसर साहब जिसके प्रकरण संख्या 45/2010 है। इस तथ्य को वादी ने अपने वादपत्र मे छुपाया है, तथा गलत रूप से प्रतिवादी को परेशान करने के लिये वादपत्र मै गलत तथ्य अंकित किये है। 42/2011 दोनो प्रकरण अलग प्रकरण संख्या 45/2010 व अलग तारीख मे प्रस्तुत किये है। जिसकी जानकारी वादी को शुरू से ही है। प्रकरण संख्या 42/2011 वादी ने नये सिरे से प्रस्तुत किया है जिसका मौका पर्चा पटवार हल्का बोराणा व भु अभिलेख निरीक्षक रायपुर ने बसामलात मौतवीरान व उभय पक्ष की उपस्थिती मे कायम किया जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि बोराणा की आराजी संख्या 2358 धुलखेडा के सरहदी नक्शे मे जाती है तथा बोराणा व धुलखेडा की सीमाओ में तफावत है एवं नवीन नक्शे मे तफावत है जिससे पत्थरगढ़ी किया जाना सम्भव नही है मौके पर्चा में वादी की आराजियात पर प्रतिवादी द्वारा कब्जा करना या कब्जा होना कही अंकित नही किया है तो वादी को मुझ प्रतिवादी के विरूद्ध कब्जेयाबी हेतु वाद प्रस्तुत करने की आवश्यकता ही नही है वादी को न्यायालय मे साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शा दुरस्त करने का वाद प्रस्तुत करना चाहिये मेरे विरूद्ध गलत वाद प्रस्तुत किया है। जो निरस्त होने योग्य है। प्रतिवादी ने वादी की आराजी संख्या 2358 मै जे.सी.बी. से खाई नही खुदवाई है। बल्कि अपनी आराजी संख्या 1088 की पश्चिमी मेड पर करीब 100 वर्ष पुरानी थुहरो की बाड व मेडबन्दी की सीमा से भी 20 फीट अन्दर पुर्वी और पत्थरो की दिवार चुनवाई है। वादी ने बैजा परेशान करने की गरज से मेरे व मेरे पुत्र तेजसिंह के विरूद्ध पुलिस थाना रायपुर मे झुठी रिपोर्ट दे दी। जब कि तेजसिंह ग्राम घुलखेडा मे नही था। थल सेना मे जम्मु कश्मीर इयुटी पर था। वादी ने गलत रिपोर्ट दी जिसपर पुलिस थाना रायपुर ने तहसीलदार साहब रायपुर के आदेशानुसार सम्बंधित पटवार हल्का व भुअभिलेख निरीक्षक को मौके पर भेज कर मौका पर्चा कायम करवाया जिसमे भी प्रतिवादी का नाजायज कब्जा होना अंकित नहीं किया है। नक्शे मे तफावत की स्थिति दर्शायी है आराजी नम्बर 1096 गेमु चाह को मुस्तकिल बिन्दु मानते हुये ग्राम बोराणा के आराजी नम्बर धुलखेडा के आराजी नम्बर 1088, 2358

के पूर्वी मेड एंव ग्राम के पश्चिमी मेड के बीच स्थित मेड का जरीब चलाकर मिलान किया तो उनका मीलान नहीं होता है। मौके पर सरहद तनाजा है। आराजी नम्बर 2358 ग्राम बोराणा के दक्षिणी मेड की तरफ 45 कडी का ओवर लेपिंग व उत्तरी कोने पर 15 कड़ी ओवर लेपिंग पाया गया उससे आगे 40 कड़ी तक प्रतिवादी नारायणसिंह कब्जा का है। इस प्रकार सरहद तनाजा साबित है वादी द्वारा तथ्य छुपाये है तथा दिनांक 27/06/2012 का मौका पर्चा का अंकन भी नही किया है। वादी की आराजी संख्या 2358 पर बलात अधिपत्य नहीं किया है। तो कब्ज़ा हटवाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। दोनो नक्शो का सरहद तनाजा है। मोके पर्चे मे भी वादी के नवीन नक्शे मे तफावत की स्थिती दर्शायी है। प्रतिवादी ने वादी की आराजी संख्या 2358 पर ताकत के बल पर कब्जा नही किया है। न ही 1088 मे मिलाया है। वादी का कब्जा आराजी संख्या 1088 पर ही है। सरहदी तनाजा है। वादी को इन्द्राज दुरस्ती हेतु बाद प्रस्तुत करना चाहिये या गलत तरीके कब्जेयाबी की डिक्री प्राप्त करने का दावा किया है। जो खारिज किये जाने योग्य है। मजीद कथन में भी जवाब के वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद को खारीज करने का निवेदन किया गया।

प्रकरण में नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर को मौका रिपोर्ट देखने हेतु आदेशित किया गया जिस पर नायब तहसीलदार रायपुर द्वारा मौका रिपोर्ट में अंकन किया गया कि ग्राम बोराणा की आराजी संख्या 2354 से 2356, 2357, 2358 कुल किता 5 कुल रकबा 1.39 है0 जो कि वादीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है एवं ग्राम धूलखेड़ा की आराजी संख्या 1088, 1089, 1090 का मौका निरीक्षण किया गया जिसका नजरी नक्शा संलग्न है। वादीगणो की मौके पर कब्जा की लम्बाई 122 मीटर है जबकि नक्शा अनुसार लम्बाई 136 मीटर है। आराजी संख्या 2358 में 8 मीटर लम्बाई में कब्जा है शेष में प्रतिवादी का कब्जा है। प्रतिवादी की आराजी संख्या 1088, 1090 की दक्षिणी मेड़े की लम्बाई कब्जा 187 मीटर है जबकि नक्शा 185 मीटर का है। उक्त आराजी की उत्तरी मेड़ की कब्जा सम्बन्धी लम्बाई 202 मीटर है जबकि नक्शा की लम्बाई 198 मीटर है। मौका पर्चा राजस्व रेकार्ड एवं मौका स्थिति अनुसार बनाया गया है एवं हस्ताक्षर करवाये गये।

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र को दोहराते हुए बताया कि वादी के नाम दर्ज खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा पाया है जिसको पुनः वादी को कब्जा दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादवर्णित भूमि दो गांवों की सीमा पर स्थित है जिसमें नक्शे की तफावत है प्रतिवादी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज है ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारीज फरमाया जावे।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर गंभीरता से विचार करने पर पाया कि वादी ग्राम बोराणा की आराजी संख्या 2358 रकबा 0.37 है0 भूमि का खातेदार कृषक है। वादी के द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने पर बाद पत्थरगढ़ी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा होना मौके पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा पर्चा मौका दिनांक 08.03.2014 में नक्शे में तफावत बताते हुए 40 कड़ी तक कब्जा विपक्षी का होना दर्शाया गया है। उभयपक्ष अधिवक्ता के निवेदन पर इस प्रकरण में नायब

तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय रायपुर से दोनो पक्षो की उपस्थिति में मौका निरीक्षण कराया गया। नायब तहसीलदार द्वारा ग्राम बोराणा एवं ग्राम धूलखेड़ा के पटवारी के पास उपलब्ध राजस्व नक्शा अनुसार दोनो तरफ से विस्तृत नपती कर मौका स्थिति से वादी एवं प्रतिवादीगण को अवगत कराया गया जिसमें वादी की खातेदारी आराजियात के दक्षिणी पश्चिमी भाग पर प्रतिवादी का 5 मीटर की सीमा तक कब्जा पाया गया। वादी की खातेदारी के उत्तरी पूर्वी कोने पर विशेष कोई अन्तर नही पाया गया। भू अभिलेख निरीक्षक के द्वारा जो नक्शे में कुछ तफावत होना दर्शाया गया है किन्तु कोई विशेष अन्तर नक्शे में नही पाया गया है। भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा भी समय समय पर निर्देश/परिपत्र जारी किये गये है कि सीमांकन एवं पत्थरगढ़ी के दौरान मौका स्थिति को विशेष ध्यान में रखते हुए सीमांकन कराया जावे। कुछ कड़ियो का अन्तर होने पर उसको मौका स्थिति को देखते हुए नजरअन्दाज किया जा सकता है। इस प्रकरण में मौका स्थिति की रिपोर्ट के अवलोकन से वादी की खातेदारी आराजी 2358 के दक्षिणी पूर्वी कोने से पश्चिम की ओर 5 मीटर की सीमा तक प्रतिवादी का कब्जा पाया गया जो त्रिभुजाकार है से प्रतिवादी को बेदखल कर वादी को कब्जा दिलाया जाने हेतु वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा की आराजी संख्या 2358 रकबा 0.37 है0 भूमि के दक्षिणी पूर्वी कोने पर प्रतिवादी द्वारा वर्तमान में 5 मीटर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर कच्ची दीवार बना रखी है। वर्तमान में प्रतिवादी के द्वारा स्थित कच्ची दीवार कर रखी है उसके दक्षिणी पश्चिमी कोने से 5 मीटर पूर्व की ओर सीमा निर्धारित कर उस बिन्दु को उत्तरी पूर्वी कोना से मिलाते हुए जो रकबा मौके पर प्रतिवादी के कब्जे में है उक्त रकबे से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। साथ ही बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी की उक्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का दखल नही करे न ही किसी अन्य से करावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

20/07/2022

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्य 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—51/2014 (2014/00030) वाद पत्र

अनवान

1. भागु पिता लच्छु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा मृतक के बजाय
1/1. रामलाल पिता भागु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/2. बालुराम पिता भागु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/3. राजी पुत्री भागु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/4. अणछी पुत्री भागु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
1/5. हगामी बेवा भागु कुमावत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. नारायणसिंह पिता केसरसिंह राजूपत निवासी धूलखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम बोराणा की आराजी संख्या 2358 रकबा 0.37 है0 भूमि के दक्षिणी पूर्वी कोने पर प्रतिवादी द्वारा वर्तमान में 5 मीटर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा कर कच्ची दीवार बना रखी है। वर्तमान में प्रतिवादी के द्वारा स्थित कच्ची दीवार कर रखी है उसके दक्षिणी पश्चिमी कोने से 5 मीटर पूर्व की ओर सीमा निर्धारित कर उस बिन्दु को उत्तरी पूर्वी कोना से मिलाते हुए जो रकबा मौके पर प्रतिवादी के कब्जे में है उक्त रकबे से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे। साथ ही बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादी की उक्त खातेदारी भूमि में किसी प्रकार का दखल नही करे न ही किसी अन्य से करावे।

डिक्री आज दिनांक 20.07.2022 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर सुनायी गयी।

20/07/2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा